न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलौदी, जिला फलौदी
पीठासीन अधिकारी डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 22 / 2021

वादी

1. अलादीन पुत्र रमजान खां, जाति मुसलमान तेली
   निवासी बरकत कॉलोनी, फलौदी
   तहसील फलौदी
   जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मजीद पुत्र रमजान खां
2. सदाम हुसैन पुत्र रमजान खां
3. सतार खां पुत्र हुसैन खां
4. मुबारक पुत्र हुसैन खां
5. कमरदीन पुत्र हुसैन खां के
   कायम मुकाम
   5/1 जैतून पत्नी कमरदीन
   5/2 हबीब पुत्र कमरदीन
   5/3 सुपिया खातू पुत्री कमरदीन
   5/4 मदीना पुत्री कमरदीन
   5/5 यास्मीन पुत्री कमरदीन
   5/6 जरीना पुत्री कमरदीन
6. इलाहीबक्स पुत्र हुसैन खां
   सभी जाति तेली मुसलमान
   निवासी बरकत कॉलोनी फलौदी
   तहसील फलौदी जिला फलौदी
7. बिजे खां पुत्र कमरदीन जाति मिरासी
   निवासी एका भाटियान तहसील फलौदी
8. पपुकंवर उर्फ पपुदेवी पत्नी आसुसिंह
   जाति रावणा राजपूत निवासी इन्द्रा
   कॉलोनी, फलौदी तहसील फलौदी
9. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा फलौदी
10. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा फलौदी
11. शाखा प्रबंधक, एक्सीस बैंक शाखा फलौदी
12. श्रीमान् तहसीलदार, फलौदी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. प्रवीण मदरेणा अधिवक्ता वादी की तरफ से।

निर्णय

दिनांक :– 02.01.2024

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कानासरिया पटवार हल्का ननेऊ तहसील फलौदी के खसरा संख्या 49 रकबा 4.11 बीघा एवं खसरा संख्या 51 रकबा 220.11 बीघा कुल रकबा 225.02 बीघा भूमि, आयी हुई है जिसमे हम वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार। उक्त विवादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आज तक विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। वादीगण ने वाद पेश कर विभाजन की इस्तदुआ की।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये डाक सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या 01, ता 03 व 06 की ओर से अधिवक्ता प्रवीणसिंह राठौड ने अपना वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने वाद में नो इनट्रेक्शन पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 05 एवं वादीगण अधिवक्ता ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड सहखातेदार होने से विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 26.09.2023 को जारी कर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु अलग से तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार फलोदी ने वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियो में अलग–अलग रंग दर्शाते हुए प्रस्तुत किया। अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद माफिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

संशोधित आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम कानासरिया पटवार हल्का ननेऊ के खेत खसरा सं. 49 रकबा 0.7365 हैक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा व खसरा संख्या 51 रकबा 35.7013 हैक्टेयर में से [illegible] हैक्टेयर भूमि वादी के बंट में (दोनो खसरों के कुल रकबा में से वादी के बंट में कुल रकबा 3.5[illegible] हैक्टेयर भूमि नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है व खसरा संख्या 51 में शेष भूमि प्रतिवादीगण 01 ता 07 में संयुक्त रूप से भूमि रखी जाती है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 06 के बंट में 76127/32[illegible] हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 01 कें बंट में 15380/328767 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 04 के बंट में 23941/109589 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 03 कें बंट में 24292/109589 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 02 के बंट मे 18632/328767 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 07 के बंट में 1052/328767 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 05 के कायम मुकाम प्रतिवादीगण 5/1 ता 5/6 प्रत्येक के कें बंट में समान रूप से 72877/1972602 हिस्सा रखा जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। तहसीलदार फलोदी को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्त अनुसार ही डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Vyas
Date: 2024.02.12 14:11:40 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलौदी
(फास्ट ट्रेक) फलौदी

संशोधित डिक्री फर्द

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक फलौदी)

डॉ. अर्चना व्यास (आर.ए.एस.)

वादी — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

1. अलादीन पुत्र रमजान खां, जाति मुसलमान तेली
निवासी बरकत कॉलोनी, फलौदी
तहसील फलौदी
जिला जोधपुर राज

1. मजीद पुत्र रमजान खां
2. सदाम हुसैन पुत्र रमजान खां
3. सतार खां पुत्र हुसैन खां
4. मुबारक पुत्र हुसैन खां
5. कमरदीन पुत्र हुसैन खां के कायम मुकाम
5/1 जैतून पत्नी कमरदीन
5/2 हबीब पुत्र कमरदीन
5/3 सुपिया खातू पुत्री कमरदीन
5/4 मदीना पुत्री कमरदीन
5/5 यास्मीन पुत्री कमरदीन
5/6 जरीना पुत्री कमरदीन
6. इलाहीबक्स पुत्र हुसैन खां
सभी जाति तेली मुसलमान
निवासी बरकत कॉलोनी फलौदी
तहसील फलौदी जिला फलौदी
7. बिजे खां पुत्र कमरदीन जाति मिरासी
निवासी एका भाटियान तहसील फलौदी
8. पपुकंवर उर्फ पपुदेवी पत्नी आसुसिंह
जाति रावणा राजपूत निवासी इन्द्रा
कॉलोनी, फलौदी तहसील फलौदी
9. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा फलौदी
10. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा फलौदी
11. शाखा प्रबंधक, एक्सीस बैंक शाखा फलौदी
12. श्रीमान् तहसीलदार, फलौदी

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या :– 22/2021

जीसीएमएस संख्या :– 2021/39

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे हाजिर श्री प्रवीण मदरेणा अधिवक्ता मुदई मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है, कि ग्राम कानासरिया पटवार हल्का ननेऊ के खेत खसरा सं. 49 रकबा 0.7365 हैक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा व खसरा संख्या 51 रकबा 35.7013 हैक्टयर में से 2.8246 हैक्टयर भूमि वादी कें बंट में (दोनो खसरों के कुल रकबा में से वादी के बंट में कुल रकबा 3.5611 हैक्टयर) भूमि नजरी नक्शा अनुसार रखी जाती है व खसरा संख्या 51 में शेष भूमि प्रति. 01 ता 07 के बंट में संयुक्त रूप से भूमि रखी जाती है। जिसमें प्रति. संख्या 06 कें बंट में 76127/328767 हिस्सा, प्रति. संख्या 01 कें बंट में 15380/328767 हिस्सा, प्रति. संख्या 04 कें बंट में 23941/109589 हिस्सा, प्रति. संख्या 03 कें बंट में 24292/109589 हिस्सा, प्रति. संख्या 02 कें बंट में 18632/328767 हिस्सा, प्रति. संख्या 07 कें बंट में 1052/328767 हिस्सा, प्रति. संख्या 05 के कायम मुकाम प्रति. 5/1 ता 5/6 प्रत्येक के कें बंट में समान रूप से 72877/1972602 हिस्सा रखा जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। तहसीलदार फलोदी को आदेश दिया जाता है कि माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

मुतालिक — बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख के अदा करें।

वसूल याबी तक

बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 01 सन् 2024 को जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Vya
Date: 2024.02.12 14:11:40 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	[illegible]
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमी नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमी नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–